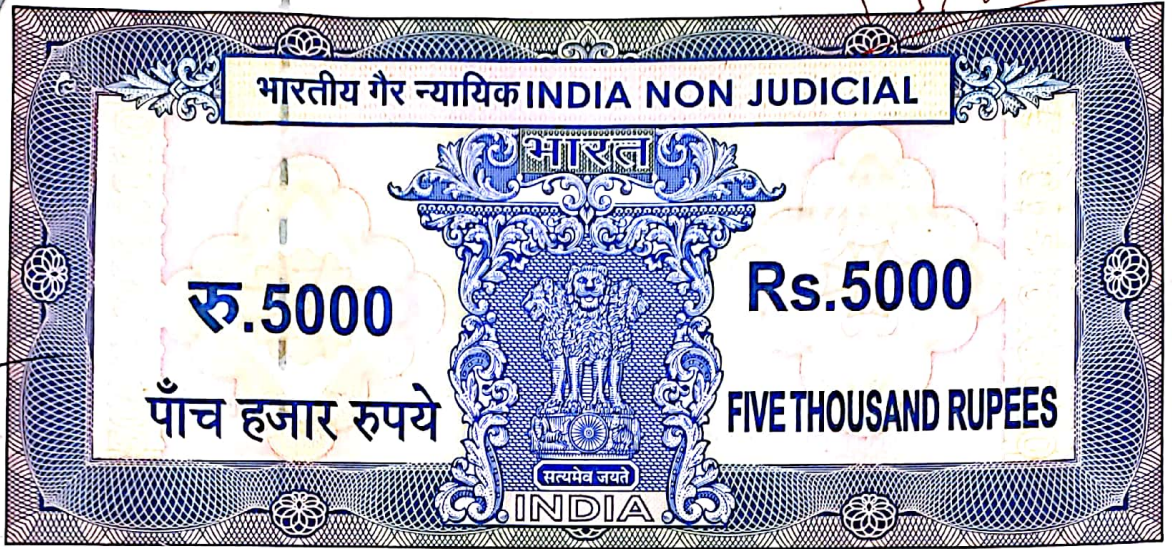


14726



4.5

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 341758

क. न्यायाधीश
हसनपुर, जनपद-अमरोहा
- 4 DEC 2013
उपकोषाधिकारी

दान पत्र
=====

क्षेत्रफल - 0-501 है०, किस्म सिंचित, दर 15,00,000/= रुपये
प्रति है०, दान में दी गई सम्पत्ति किसी राष्ट्रीय, जनपदीय,
मार्ग अथवा आबादी से सटी हुई नहीं है। मूल्य सूची के पृष्ठ-59
के वी०कोड-1245 के अनुसार।

प्रदत्त स्टाम्प : 38,000/= रुपये, शीट - 10

सरकारी कीमत : 7,60,000/= रुपये

नि. शम्भुपाल सिंह



5760 - 22/48

सही नाम व एक गिरा..... को पृष्ठ..... 14726
पर आज दिनांक.....

13/2/13

सब रजिस्ट्रार, बलनपुर



क्षेत्रफल 2-027 है 0 का 1/3 भाग, किस्म-सींचत, दर- 3,00,000/= रुपये प्रति एकड़

दस्तावेज का सिलसिला नं० 9523

यह लेखपत्र आज दिनांक 8-9-2010 को कुल स्टाम्प पर अदा करते हुए श्री 08

को संलग्न परिशिष्ट में अंकित विवरणानुसार रु० 25,100/= पन्नों पर विक्रीत सम्पत्ति के बाजारी मूल्य कुल रु० 5,01,000/=

जसमाल सिंह पुत्र श्री लालू सिंह जाति गुजर नि० ग्राम बाहपुर परगना तहसील हसनपुर जिला-ज्योतिबा पूलेनगर।

(विक्रेता प्रथम पक्ष)

ने रुपये 5,00,000/= पाँच लाख रुपये
कि जिसके आधे रुपये 2,50,000/= दो लाख पचास हजार रुपये
होते हैं प्रतिफल के बदले में श्री 08 एस० विद्यापीठ, ग्राम बाहपुर तहसील हसनपुर जिला
ज्योतिबा पूलेनगर द्वारा चैयरमैन डा० सुनील कुमार पुत्र श्री जसमाल सिंह नि०
7788/7, जागीर विहार मेरठ जाति गुजर

(क्रेता) द्वितीय पक्ष
तहसील हसनपुर

के हक में ग्राम बाहपुर

जिला ज्योतिबा पूलेनगर स्थित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण संलग्न प्रिन्टेड प्रोफार्मा के परिशिष्ट में दिया गया है सम्बन्ध में निष्पादित किया।

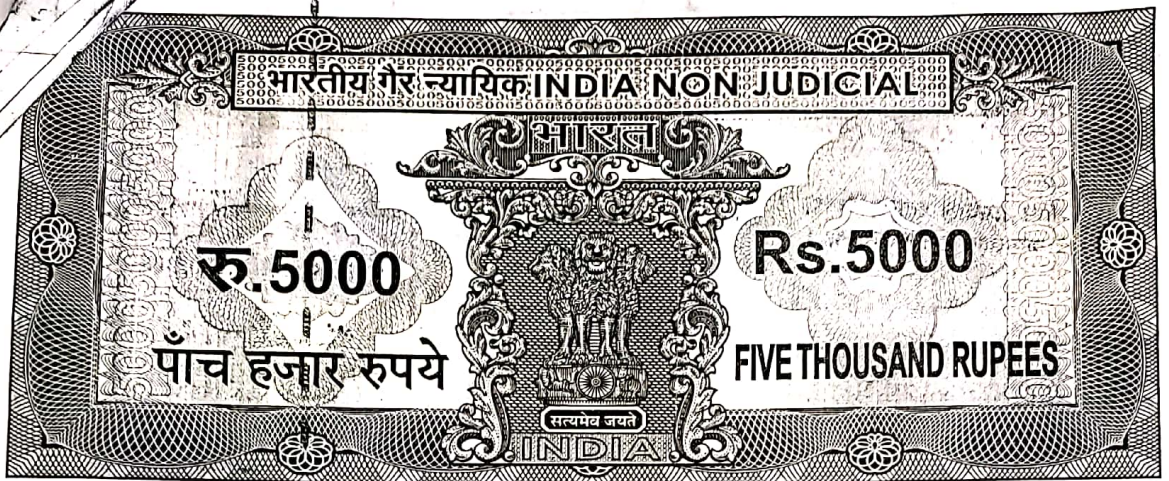
जो कि (विक्रेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और वह उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण-भार, विवाद एवं बन्धन आदि से मुक्त है तथा इसको विक्रय करने का (विक्रेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है अतः (विक्रेता) प्रथम पक्ष अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में खूब सोच समझकर अपनी आवश्यकता हेतु एवम् वर्तमान बाजारी मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वत्व अधिकारों एवम् हितों सहित बिना कोई विषय सुरक्षित रखे, संलग्न स्टाम्प पर प्रतिफल के बदले में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया अब इस सम्पत्ति से (विक्रेता) प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं रहा है और न भविष्य में होगा विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना स्वामित्व व अधिपत्य हटाकर द्वितीय पक्ष क्रेता का स्वामित्व व अधिपत्य करा दिया इस प्रकार बदल कब्जा अमल में आया अब यदि (विक्रेता) प्रथम पक्ष स्वत्व, अधिकार के अभाव या त्रुटि के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या किसी अन्य कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या उसका अंश (क्रेता) द्वितीय पक्ष के अधिकार से निकल जावे या उस पर (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या किसी भार, जिसका स्पष्ट उल्लेख (विक्रेता) प्रथम पक्ष ने न किया हो (क्रेता) द्वितीय पक्ष को चुकता करना पड़े, ऐसी समस्त दशाओं में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय भार सब मय हर्जा खर्चा अदालत, (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी।

प्रथमपक्ष

द्वितीयपक्ष

जसमाल सिंह

Amann



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

१२१

L 927482

विवाह भूमि वक्फ सम्पत्ति नही है

जसबा लाल सिंह



Handwritten signature



8/9/10

75



143
160

पञ्जाब प्रान्त, लाहौर, १५२३

१५२३

१५२३